



पत्र संख्या /२-५६/४६२/२०१६
दिनांक ०६/०५/२०१६

कार्यालय आदेश

Ease of doing business in Uttar Pradesh के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के कम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में भूमि विकास एवं भवन निर्माण की अनुमति से सम्बन्धित स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित किये जाने के उद्देश्य के दृष्टिगत यह आदेशित किया जाता है कि मानचित्र प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में महाप्रबन्धक (नियोजन) द्वारा प्राधिकरण में नियोजन तथा परियोजना अनुभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित स्थल का संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा। भौतिक निरीक्षण के दिनांक एवं समय की सूचना महाप्रबन्धक (नियोजन) द्वारा पत्र/ईमेल/दूरभाष के माध्यम से अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों, आवेदक, जिला अग्निशमन अधिकारी आदि को सूचित किया जाएगा जिससे कि सभी विभाग एक साथ निर्धारित समय पर भौतिक स्थल निरीक्षण कर सकें। भौतिक स्थल निरीक्षण की आख्या अनिवार्य रूप से निरीक्षण के 48 घंटे में तैयार कर ली जाएगी।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी २०/५/२०१६

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस) / (ए) को सूचनार्थ।
3. जिला अग्निशमन अधिकारी।
4. विशेष कार्याधिकारी (एच) / (एम) / (एस) / (एस.बी)।
5. महाप्रबन्धक (वित्त) / नियोजन / परियोजना।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी